प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्वेश पुत्र श्री रामचन्दर, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-705/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-31.12.2024), दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्वेश पुत्र श्री रामचन्दर, जो गूजर गौटिया, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। 1-दिनांक 02.04.1996 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर आपसी रंजिश को लेकर बच्चू सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी। 2- बन्दी की एक बहन की शादी सुखलाल से हुयी थी। बन्दी की दूसरी बहन सुखलाल के भाई महीपाल के साथ रहने लगी। इसी रंजिश के कारण दिनांक 05.03.1996 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर ओमपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 3- दोनों पक्षों में चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 02.05.2004 को रात्रि लगभग 9.00 बजें घर में घुसकर सियाराम नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराधो हेतु बन्दी को (1) एसटी नं0-699/1999, भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 बरेली के आदेश दिनांक 23.02.2010 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (**2**) एस०टी०नं0-747/1996, भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06, बरेली द्वारा दिनांक 23.08.2007 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (**3**) एस०टी० नं**0-**516/2006, भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 452 में मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 29.10.2010 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की उक्त 03 वादों में अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी ने दिनांक 23.12.2024 तक (1) एस०टी०नं0-699/1999 में अपरिहार 24 वर्ष, 10 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 03 माह, 03 दिन है। (2) एस०टी०नं0-747/1996 में अपरिहार 24 वर्ष 10 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 00 माह, 15 दिन है। (3) एस०टी०नं0-516/2006 में अपरिहार 14 वर्ष 11 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 01 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप **05** बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने वाला अपराध होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 03 घटनाओं में 03 व्यक्तियों की हत्या के उपरान्त **03** आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-**1938** की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दुर्वेश पुत्र रामचन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर दिया किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्वेश (बन्दी संख्या-46182) पुत्र श्री रामचन्दर, निवासी जनपद-बरेली की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र)

उप सचिव।

संख्या-1033/2025/155(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh

शासनादेश संख्या-1033/2025/155/22-2-2025-17(191)/2017

दिनांकः 20 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दुर्वेश पुत्र श्री रामचन्दर, जो गूजर गौटिया, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। 1-दिनांक 02.04.1996 को बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर आपसी रंजिश को लेकर बच्चू सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी। 2- बन्दी की एक बहन की शादी सुखलाल से हुयी थी। बन्दी की दूसरी बहन सुखलाल के भाई महीपाल के साथ रहने लगी। इसी रंजिश के कारण दिनांक 05.03.1996 को बन्दी ने तमंचे से गोली मारकर ओमपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। 3- दोनों पक्षों में चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 02.05.2004 को रात्रि लगभग 9.00 बजें घर में घुसकर सियाराम नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराधो हेतु बन्दी को (1) एसटी नं0-699/1999, भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 बरेली के आदेश दिनांक 23.02.2010 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (**2**) एस०टी०नं0-747/1996, भा0द0वि0 की धारा-302 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06, बरेली द्वारा दिनांक 23.08.2007 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (**3**) एस०टी० नं**0-**516/2006, भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 452 में मा० न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 29.10.2010 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की उक्त 03 वादों में अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है। बंदी ने दिनांक 23.12.2024 तक (1) एस०टी०नं0-699/1999 में अपरिहार 24 वर्ष, 10 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 03 माह, 03 दिन है। (2) एस०टी०नं0-747/1996 में अपरिहार 24 वर्ष 10 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 00 माह, 15 दिन है। (3) एस०टी०नं0-516/2006 में अपरिहार 14 वर्ष 11 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 01 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप **05** बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने वाला अपराध होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 03 घटनाओं में 03 व्यक्तियों की हत्या के उपरान्त **03** आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इससे प्रतीत होता है कि प्रश्नगत बन्दी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-**1938** की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी दुर्वेश पुत्र रामचन्दर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर दिया किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in